राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

....

मैं राजकीय दौरे के दरम्यान दिनांक 18/6/2014 को गुमला जिले में गया एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित अत्याचार कांडों की समीक्षा की । बैठक में पुलिस अधीक्षक, गुमला एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला उपस्थित थे । पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुसूचित जनजाति अत्याचार संबंधी सूची दी गई, जिसमें 52 कांडों का ब्यौरा है । विचार विमर्श के दौरान निम्नलिखित बिन्दु उभरेः-

(I) कांडों के अनुसंधान में बहुत विलम्ब किया गया है ।

(II) अभियुक्तों की गिरफ्तारी वर्षों से नहीं हुई है ।

(III) बहुत से कांडों में राहत (Relief) के लिए प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, गुमला द्वारा नहीं भेजा गया । राहत (Relief) दिये जाने का तरीका दोनों पदाधिकारियों को मालूम नहीं है । अतः सलाह दी गई कि PoA Act, 1989 को पढ़े और थाना को भेज दें और साथ ही कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से निर्गत PoA Rules 1995 (नोटिफिकेशन संख्या G.S.R 316(E) dated 31, March 1995 का अध्ययन करें ताकि अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के संबंध में कार्रवाई की जा सकें एवं राहत (Relief) दी जा सकें ।

(IV) बिहार शासन के दौरान अत्याचार संबंधी मामलों में तिमाही बैठक जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा हुआ करती थी । ऐसे मामलों की समीक्षा की जाती थी एवं त्वरित कार्रवाई करने का फैसला भी लिया जाता था । यहाँ इस तरह की कोई बैठक नहीं हो रही है । पुलिस अधीक्षक एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को सलाह दी गई कि ऐसे निर्देशों को निकालें तथा अमल करें ।

793/C/2014
02/07/2014.

रामेश्वर उराँव

(डॉ. रामेश्वर उराँव)

सचिव, रा.अ.जजा. आ.

4/7/14

सं. सचिव

उचित कार्यवाही हेतु

स
2/7

AD (...)

SSA NIC

निदेशक (ब)

Con(RU III) ... file for sending the ... to ... parties & ... ...